FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

CIPA-R1.11 00

1. District: STATE VIG BUREAU P.S.: SVB AMBALA Year: 2013 FIR No.: 14 Date: 11-11-2013

2. Act(s): Section(s):
   (i) IPC 1860 409/420
   (ii)
   (iii)
   (iv)

3. Occurrence of Offence: Unknown date and time:
   (a) Day: Date From: Date To:
   Time Period: Time From: Time To:
   (b) Information received at P.S: Date: 11-11-2013 Time: 16:15 hrs
   (c) General Diary Reference: Entry No.: 14 Time: 16:15 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
   (a) Direction and Distance from P.S: Beat No.:
   (b) Address: प्राथमिक कृषि समिति सौन्टी, जिला अम्बाला
   (c) In case, Outside the limit of the Police Station:
   Name of P.S: District:

6. Complainant/Informant:
   (a) Name: राजेन्द्र कुमार निरीक्षक
   (b) Birth Year: Nationality: INDIA
   (c) Passport No. Date of Issue: Place of Issue:
   (d) Occupation:
   (e) Address: राज्य चौकसी ब्युरो, अम्बाला मण्डल ,अम्बाला

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary): (3)
   (i) राम दिया लिपिक
   (R/O)सहकारी समिति सौन्टी जिला अम्बाला
   (ii) कुलदीप सचिव
   (R/O)सहकारी समिति सौन्टी जिला अम्बाला
   (iii) हरदेव सिहं सचिव
   (R/O)सहकारी समिति सौन्टी जिला अम्बाला

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

Reg. No. 2 14
Reg. No. 4
Reg. No. 6
Reg. No. 9-III
Reg. No. 9-II
Reg. No. 11
Reg. No. 12
Reg. No. 19
Reg. No. 21
Reg. No. 23

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
Date.........
अम्बाला मण्डल, अम्बाला

Seen
ADGP/SVB/GGN

12 . F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

नकल तहरीर जैल है । सेवा में प्रबन्धक, थाना, राज्य चौकसी ब्युरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला । श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 34 दिनांक 23.10.2008 अम्बाला राम दिया लिपिक, कुलदीप सचिव व हरदेव सिहं सचिव सहकारी समिति सौन्टी जिला अम्बाला के विरूध मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के पत्र क्रमांक 65/12/2008_5 चौकसी (I) दिनांक 8.10.2008 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के पृ0 क्रमांक 19735/ 1_3 राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा दिनांक 30.10.2008 के द्वारा आसूचना रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतू राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला मण्डल में प्राप्त हुई थी जिसमें निम्नलिखित आरोपो की जांच की जानी थी (1) यह है कि दी गई प्राथमिक कृषि सहकारी समिती सौंटी जिला अम्बाला में वर्ष 2002 से 2006 तक लाखो रुपयो की हेरा फेरी गई गई है जैसा कि रामदिया लिपिक-कम कैशियर व कुलदीप सचीव ने दिनांक 28-02-2003 को डे बुक पेज न० 268 पर खिला राम पुत्र गोकुल के बचत खाता संख्या 149 में वोचर न० 3863 द्वारा 1,00,000/- जमा करवाये । पास बुक में फर्जी इन्द्राज करके राशी का गबन किया है (2) दिनांक 14-02-2005 को गुरदयाल पुत्र बीर सिहं ने अपने बचत खाता न० 61/1 से 50,000/- रुपये निकवाये लेकिन रामदिया लिपिक व कुलदीप ने हेराफेरी से 1,50,000/- रुपये करके 1,00,000/- रुपये का सीधा गबन किया है । (3) श्री हरबंस सिहं मृतक द्वारा 3,62,025/- रुपये इफको विभाग में जमा करवाने के लिए चैक न० 27312 दिनांक 10-01-2005 व 27315 दिनांक 24-03-2005 लिये दिखाये व इन चैको का भुगतान दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी बैंक जनसूई में कार्यरत प्रबन्धक विरेन्द्र व कैशियर कुलदीप सिहं से मिलीभगत करके ले लिया जबकि. हरबंस सिहं मृतक द्वारा यह राशी नही भेजी गई । जब इस राशी के गबन का पता चला तो एम० डी० राजेन्द्र सिहं ढाण्डा, मैनेजर पिशोरी लाल से मिलीभगत करके उक्त अधिकारियो ने हिशम सिहं पुत्र मुखत्यार सिहं वासी मालवा के द्वारा रसीद न० 776746 दिनांक 01-07-2006 को उक्त राशी बैंक में जमा करवा दी । उपरोक्त आरोपो की पड़ताल से पाया गया कि (1) प्राथमिक कृषि समिति सौंन्टी जिला अम्बाला में श्री खिला राम पुत्र श्री गौकल वासी सौन्टी द्वारा उपरोक्त सोसायटी में अपना बचत खाता संख्या 149 खुलवाया हुआ था । दिनांक 28-02-2003 को उपरोक्त खाता से वोचर न० 3883 दिनांक 28-02-2003 द्वारा श्री खिला राम को 1,00,000/- रुपये का भुगतान किया जाना पाया गया है । इस वोचर पर आवेदन कर्ता का अँगूठा निशान लगाया जाना पाया गया है तथा इस वोचर को पास करने बारे किसी लिपिक अथवा सचिव/ प्रबन्धक के हस्ताक्षर नही पाये गये है जिससे प्रतीत होता है कि तत्कालिन कैशियर श्री राम दिया (हाल सेवा निवृत) ने गबन करने की नियत से उपरोक्त वोचर भरकर 1,00,000/- रुपये का गबन किया है। उपरोक्त राशी निकवाने बारे श्री खिला राम ने अपने हल्फीया ब्यान क० फ० 19-21 में बतलाया कि उसने उपरोक्त राशी नही निकवाई और न ही उसने दिनांक 17-01-2006 को उपरोक्त राशी जमा करवाई थी । इस सम्बन्ध में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के अधिकारियो द्वारा जांच की गई जिसके अनुसार तत्कालीन कैशियर श्री राम दिया लिपिक व सचिव श्री कुलदीप सिहं को दोषी माना था । दोषी पाये जाने पर उपरोक्त दोनो कर्मचारियों ने उपरोक्त 1,00,000/- रुपये की राशी वोचर संख्या 2883 दिनांक 17-01-2006 को श्री जगत राम कमेटी मैम्बर के माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी जमा करवाई जानी पाई गई । इस सम्बन्ध में श्री जगत सिहं मैम्बर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी ने बतलाया कि उसने कर्मचारियों की नौकरी को बचाने के लिए इनके परिवार वालो से 1,00,000/- रुपये लेकर खाता धारक श्री खिला राम के खाता में जमा करवा दी थी (2) प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी जिला में श्री गुरदयाल सिहं पुत्र बीर सिहं ने अपना खाता संख्या 61/1 खुलवाया हुआ था । श्री गुरदयाल सिहं ने अपने कथन में बतलाया कि उसने अपने खाता से दिनांक 14-02-2005 को 50,000/- रुपये की राशि निकवाने के लिए आवेदन किया था । लेकिन समिति

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
Date..............
अम्बाला मण्डल, अम्बाला

के कर्मचारिया ने एक लाख रुपये अधिक निकालकर उसका पास बुक मै 50,000/- रुपये का इन्द्राज करके एक लाख रुपये का गबन कर लिया था । श्री गुरदयाल सिहं द्वारा भरे गये वोचर न० 3609 दिनांक 14.02.2005 जिस पर गुरदयाल सिहं के उर्दू में हस्ताक्षर किये हुए जिस पर अग्रेंजी के शब्दो में One Lack Fifty Thousand Rs Only तथा अंको में 1,50,000/- रुपये लिखा जाना पाया गया है तथा समिति की डे -बुक व खाता धारक के खाता में 1,50,000/- रुपये की निकासी का इन्द्राज किया जाना पाया गया है । परन्तु खाता धारक श्री गुरदयाल सिहं के कथनानुसार उसकी पास बूक में 50,000/- रुपये की निकासी का ही इन्द्राज किया गया था । तत्कालिन सचिव प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी ने अपने कथन में माना है कि लिपिक श्री बलविन्द्र सिहं ने श्री गुरदयाल सिहं का वोचर पास करके रजिस्टर में इन्द्राज करके उसके पास वाउचर पास करने के लिये दिया था उसने खाता धारक का खाता चैक करके वाउचर पास करके कैशियर राम दिया के पास भुगतान हेतू भेज दिया था । इस सम्बन्ध में श्री गुरदयाल सिहं द्वारा समिति के अधिकारियो को शिकायत करने पर जांच में राम दिया लिपिक व हरदेव सिहं सचिव को दोषी पाया गया था । दोषी पाये जाने पर उपरोक दोनो कर्मचारियों ने उपरोक 1,00,000/- की राशि वोचर संख्या 2887 दिनांक 17-01-2006 को श्री जगत राम कमेटी मैम्बर के माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी में जमा करवाई जानी पाई गई । इस सम्बन्ध में श्री जगत सिहं मैम्बर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी ने अपने कथन में बतलाया कि उसने कर्मचारियों की नौकरी को बचाने के लिए इनके परिवार वालो से 1,00,000/- रुपये लेकर खाता धारक श्री गुरदयाल सिहं के खाता में जमा करवा दी थी । (3) प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी का अपना एक चालू (Crrunt) खाता चलाना पाया गया है । जब समिति को इफको / मार्कटिंग सोसायटी से खाध , बीज व दवाई इत्यादि लेनी होती है तो समिति इसी खाते से भुगतान बजरिया चैक करती है । दिनांक 10-01-2005 को चैक न० 27312 मुबलिग 3,00,000/- इफको खाध कम्पनी के भुगतान हेतू हरबंस सिहं सैल्जमैन द्वारा काटकर जुनसुई को० ओ० बैंक से राशी प्राप्त की जानी पाई गई । जिसके अध्धयन से पाया गया है कि चैक का भुगतान करते समय चैक के पिछली तरफ हरबंस सिहं सैल्जमैन के हस्ताक्षर किये जाने पाये गये है। इसी प्रकार चैक न० 027315 दिनांक 24-03-2005 द्वारा मुबलिग 62,025 /- रुपये की राशि हरबंस सिहं सैल्जमैन / लिपिक द्वारा समिति के चालू खाता से इफको खाध के भुगतान हेतू निकलवाई जानी पाई गई है । बैंक द्वारा उपरोक राशी का भुगतान करते समय बैंक के रजिस्टर में हरबंस सिहं सैल्ज मैन का नाम अंकित है चैक का भुगतान करते समय चैक के पिछली तरफ हरबंस सिहं सैल्जमैन के हस्ताक्षर किये जाने पाये गये है । परन्तु श्री हरबंस सिहं सैल्जमैन द्वारा उपरोक राशि बैंक से प्राप्त करके इफको कम्पनी में जमा करवानी नही पाई गई । जब इफको द्वारा अपने बकाया पैसे का मिलान किया तो यह राशि उनके पास जमा नही होनी पाई गई। जिसकी जांच निरीक्षक सतपाल शर्मा , यशपाल निरीक्षक सहकारी समितियां अम्बाला द्वारा की गई । जिसकी जांच अनुसार उपरोक राशि इफको सोसायटी की ओर बकाया होनी पाई गई । दिनांक 26-09-2005 को हसबंस सिहं सैल्ज मैन द्वारा आत्म हत्या करने पर इसकी विभागिय जांच की गई। जांच में हरबंस सिहं सैल्जमैन को उपरोक राशि के गबन के लिए दोषी पाया गया । परन्तु तत्कालिन सचिव श्री हरदेव सिहं द्वारा की गई लापरवाही के कारण ही उपरोक राशि का गबन होना पाया गया अगर श्री हरदेव सिहं सचिव प्रतिदिन के खातो को चैक करते तो इस राशि का गबन नही हो सकता था । इस सम्बन्ध में हरदेव सिहं तत्कालिन सचिव प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सौन्टी ने अपने कथन में माना है कि दिनांक 10-01-2005 को काटे गये चैक संख्या 027312 मुबलिग 3,00,000/- रुपये पर उसके हस्ताक्षर नही है और दिनांक 24-03-2005 चैक न० 027315 मुबलिग 62,025/- रुपये पर उसके हस्ताक्षर है। परन्तु दिनांक 25-03-2005 को उसका तबादला बराडा समिति में होने के कारण उसे भारमुक किया जाना पाया गया है जबकि बैंक से उपरोक राशि का भुगतान दिनांक 28-03-2005 को होना पाया गया है। इस सम्बन्ध में समिति के अधिकारियों द्वारा जांच करने पर तत्कालिन सचिव श्री हरदेव सिहं व सैल्जमैन हरबंस सिहं (मृतक) को दोषी पाया गया जिस पर हरदेव सिहं द्वारा इज्जत व नौकरी को बचाने के लिए समिति के मैम्बरो के दवाब में श्री ईशम सिहं के माध्यम से वाउचर न० 776746 दिनांक 01-07-2006 अनुसार 3 62,025 /- रुपये की राशि समिति में जमा करवाई जानी पाई गई है ।

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
Date..................
अम्बाला मण्डल अम्बाला

07-2000 अनुसार 3,02,025 /- रुपये की राशि शामिल न करना कार्यवाही जाना पाई गई है।
इस प्रकार राम दिया लिपिक , कुलदीप सचिव व श्री हरदेव सिहं, सचिव ,दी सहकारी समिति
सौन्टी द्वारा उपरोक्त राशियों का गबन किया जाना पाया गया है, इसलिए इनके विरुद्द धारा
409/420 भा० द० स० के तहत अभियोग अंकित किये जाने व अन्य किसी कर्मचारी/
अधिकारी की मिलिभगत पाई जाए तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने
का सुझाव दिया गया था । जिसकी रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो के पत्र क्रमांक
19703 / रा० चौ० ब्युरो (ह) दिनांक 31-07-2013 द्वारा सरकार को भेजी गई थी । जो
अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृ० क्रमांक 65/12/2008-5 चौकसी 1
दिनांक 09-10-2013 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला के पृ० क्रमांक
24764 / आई -5/ रा० चौ० ब्युरो हरियाणा पंचकुला दिनांक 15-10-2013 अनुसार
रामदिया लिपिक , कुलदीप सचिव व श्री हरदेव सिहं सचिव दी सहकारी समिति सौन्टी जिला
अम्बाला के विरुद्द धारा 409/420 भा० द० स० के तहत अभियोग अंकित करके तथा तफतीश
के दौरान अन्य किसी व्यकि की मिली भगत पाई जाये तो उसे भी देख लिये जाने का आदेश
प्राप्त हुआ है । जो पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरा अम्बाला मण्डल , अम्बाला के डायरी
क्रमांक 1809 दिनांक 17-10-2013 के आदेशानुसार तहरीर तैयार की गई । इसलिए अनुरोध है
कि उपरोक्त आरोपियो रामदिया लिपिक , कुलदीप सचिव व श्री हरदेव सिहं, सचिव, दी
सहकारी समिति सौन्टी जिला अम्बाला के विरुद्द उपरोक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके
स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट अम्बाला व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च
अधिकारियो को भेजी जावे । मिशल पुलिस व सम्बन्धित रिकार्ड तफतीशी अधिकारी को भेजा
जाये । हस्ताः- राजेन्द्र कुमार निरीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो, अम्बाला मण्डल ,अम्बाला मन
निरीक्षक द्वारा उक्त तहरीर तैयार करके पत्र.न० 2718/SVB /AMB DT 23-10-2013 द्वारा
अनमोदानार्थ महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी जो मुताबिक
पत्र 25773 /1-3/SVB(H) DT PANCHKULA THE 06-11-13 द्वारा प्राप्त होकर पुलिस
अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला के डायरी नम्बर 1946 DT 11-11-13के अनुसार
निरीक्षक रणबीर सिहं को तफ्तीश करने के आदेश के साथ तहरीर प्राप्त हुई है । जिस पर
मुकदमा बा जुर्म जेर धारा 409/420 भा० द० स० थाना राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला दर्ज
रजिस्टर किया गया वा प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त EHC संजय
कुमार न० 542 PKL के द्वारा ईलाका मजिस्ट्रेट साहब अम्बाला वा अन्य प्रतियां उच्च अधिकारी
गण की सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय सम्बन्धित रिकार्ड तफ्तीश हेतू
निरीक्षक रणबीर सिहं SVB /AMB के हवाले की जायेगी । इन्दार्ज रिकार्ड थाना विधि अनुसार
किया गया ।

13 . Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

OR

(i) Registered the case and took up the investigation

(ii) Directed(Name of the I.O): RANBIR SINGH Rank: INS
No.: 0001234 to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to: OR

(iv) Transferred to P.S(name): District:
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

थाना राज्य चौकसी ब्युरो
Date
अम्बाला मण्डल, अम्बाला

14. Signature / Thumb Impression of The Complainant/Informant:

Rajender Kr.

Signature of Officer
Name: RAJINDER KUMAR
Rank: INS No.: 00000088

15. Date and Time of despatch to the court:

Date..............